



श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. रवालियर के मध्य इन्दौर के समक्ष  
निधि- १०२-८०२-१६

- 1— खाजू पिता आलम नायता पटेल  
आयु — वयस्क, व्यवसाय — कृषि  
निवासी — ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर
- 2— शफी पिता आलम नायता पटेल  
आयु — वयस्क, व्यवसाय — कृषि  
निवासी — ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर
- 3— गनी पिता आलम नायता पटेल  
आयु — वयस्क, व्यवसाय — कृषि  
निवासी — ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर --- प्रार्थीगण  
विरुद्ध

- 1— श्रीमती मानावाई पति ख. दिलीपसिंह राजपूत  
आयु — वयस्क, व्यवसाय — कृषि
- 2— जयसिंह पिता ख. दिलीपसिंह राजपूत  
आयु — वयस्क, व्यवसाय — कृषि  
निवासी — ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर --- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 29 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय इन्दौर (पीठासीन अधिकारी श्री एस. एस. सलूजा) के समक्ष लम्बित प्रकरण 252/अपील/15-16 के अन्तरण बाबद याचिका।

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

- 1— यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 9--अ/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 से

विविध १०२-८३२/१६

२२.६.२०१६

आवेदकगण की ओर से श्री  
हरीश सोल्हे की आमनेभाष्यक उपालेख।  
आद्यता पर सुना गया। अप्राप्यक  
इसी पाइ योग मिवृत हो रहे हैं।  
आवेदक डांटेलि करते हैं।

आदि के हस्ताक्षर

आधिकारी की होमे से प्रकाश  
आग्रह किया जाता है।

अध्यक्ष